

13/11

वकील फाईल नं. 1000/19 पो सख  
अन्य कार्य में व्यस्त है।  
पत्रावली दिनांक 16/12/19 को पेश हो। / (19/12/19)

२२/११ ॥ आज भद्र पत्रावली प्राची द्वारा भूलवाद  
में प्राची पत्र पेश करने पर  
रुणजी सिंह पेशी में ली गई प्राची द्वारा  
प्राची पत्र में निवेदन किया कि  
प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण  
का राजीनामा हो चुका है।  
इसलिए प्रकरण को आगे नहीं  
चलाना चाहते हैं। भूलवाद वादी  
द्वारा नोटप्रेस करने पर खारिज  
हो चुका है। प्राची के प्राची पत्र  
अन्तर्गत धारा 212 RTA में कोई  
कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राची  
का प्राची पत्र 212 RTA खारिज  
किया जाता है। प्रकरण में जारी  
दिनांक 14/10/19 की अस्थायी निवेद्याज्ञा  
निरस्त की जाती है। पत्रावली तिथि  
दोफर गम्बर से कम हो गई।

पट्टचार्या  
गोम



(मूलचन्द्र लूगिया)  
तहसील अधिकारी (राजसाहि)  
श्रीकरणपुर

